

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... हरिकिशन

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-20 सन्-2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-20/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम जटवाड़ा में राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ता खसरा न0 781 रकबा 0.01 पर गैरसायल हरिकिशन पुत्र रामसहाय मीना जाति मीना निवासी जटवाड़ा द्वारा मिट्टी की मेड़ बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया बल्कि मौखिक रूप से कहा गया की रास्ते में यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हम स्वयं हटा लेंगे।</p> <p>अतः गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया तथा अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.095 रूपये का 50 गुणा 5 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखल, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2022-23 की

पू0 स0 63-पर-5 रु -

मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व तंखाका

नायब तहसीलदार  
तहसील मण्डावर (दौसा)